न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 36/2026

एडवोकेट राजेन्द्र सिंह शेखावत, निवासी 19ए, आरएसईबी, आफिसर्स कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 25.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 36/2026 पर दिनांक 03.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/340—341 दिनांक 03.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आरटीआई/2026/14 दिनांक 19.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, वैशाली नगर, जयपुर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.12.2025 को आवेदन ऑफलाईन इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र मे अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जबाब तैयार कर प्रार्थी को इस कार्यालय के कमांक आरटआई/2026/02 दिनांक 08.01.2026 को प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आरटीआई/2026/14 दिनांक 19.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, वैशाली नगर, जयपुर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.12.2025 को आवेदन ऑफलाईन उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र मे अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जबाब तैयार कर प्रार्थी को उनके कार्यालय के कमांक आरटआई/2026/02 दिनांक 08.01.2026 को प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी को पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही उनके कार्यालय द्वारा नही की जाती है जिसके कारण सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं